संख्या-109/2023/2339/30-3-2023

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 05 सितम्बर, 2023

विषय- सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, बाराबंकी के भवन मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु पूर्व स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1467ए/2023-55ए/2023, दिनांक 04 अगस्त, 2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, बाराबंकी के भवन मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य हेतु पूर्व स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 68.91 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखने की नीचे उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत/निर्गत प्रशासकीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि (रू0 लाख में)	द्वितीय/अवशेष किश्त के रूप में निर्गत किये जाने हेतु अनुमोदित धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, बाराबंकी।	कार्यालय परिसर की बाउण्ड्रीवाल, कार्यालय भवन व फर्श, शौचालय की मरम्मत, विद्युतीकरण तथा सम्पूर्ण कार्यालय भवन की रंगाई-पुताई।	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ-तृतीय।	77.60	8.69	68.91 (रू0 अड़सठ लाख इक्यानवे हजार मात्र)

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च 2023 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टयॉ, मानक एवं गुणवता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आपका होगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा कियी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(6) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(7) उक्त कार्यों के सम्बन्ध में समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण की मद में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-109/2023/2339(1)/30-3-2023, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, बाराबंकी।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था - उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ-तृतीय।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।